

सूचना एम.बी.बी.एस. नीट यू.जी. राज्य स्तरीय (स्टेट) काउंसलिंग 2025-26 में प्रवेश हेतु
उपस्थित अभ्यर्थियों के लिये

शासन द्वारा लागू (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना) के संबंध में सूचना
(अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु)

1. योजना हेतु अभ्यर्थी को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी के पास पिछड़ा वर्ग का स्थायी डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
3. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं हो तदाशय का सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
4. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शासकीय मेडीकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बांड राशि रु. 10 लाख के रूप में (बांड की राशि का 0.5 % की राशि के स्टांप पर) निष्पादन करेंगे।

विशेष नोट :- प्रवेशित विद्यार्थी को कक्षाओं प्रारंभ होने के उपरांत प्रवेशित योजना का वास्तविक लाभ लेने हेतु पोर्टल पर आवेदन भरना अनिवार्य हैं आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा पूर्ण शिक्षण शुल्क संस्था में जमा करना होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।


(नोडल अधिकारी)

छात्रवृत्ति शाखा
गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर


(नोडल अधिकारी)

नीट यू.जी. काउंसलिंग 2025-26
गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर